

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
कार्यालय आदेश

संख्या-03/योजना-14/2001-पार्ट.....988.....पटना, दिनांक-15/02/2014


विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-6397 दिनांक 11.12.2013 में संशोधन करते हुए ओवरलोड एवं अनियमित वाहनों विशेषकर ओवरलोड मालवाहकों के परिवहन चेकपोस्ट, महात्मा गाँधी सेतु उत्तरी भाग, टॉल प्लाजा, हाजीपुर (वैशाली) स्थान पर जॉच/रोकथाम और तत्क्रम में सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निम्नानुसार पदाधिकारियों की दिवस वार/तृतीय पाली में प्रतिनियुक्ति किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्य दिवस	तृतीय पाली में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी (10.00 PM to 06.00 AM)
1	सोमवार	दिव्य प्रकाश, मोटरयान निरीक्षक, सीवान। मो० नं०- 9576027299
2	मंगलवार	श्याम नंदन प्रसाद, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, पटना। मो० नं०- 9931348080
3	बुधवार	विनोद कुमार, मोटरयान निरीक्षक, छपरा। मो० नं०- 9661001259
4	वृहस्पतिवार	अमिताभ कुमार, मोटरयान निरीक्षक, पटना। मो० नं०- 9708346206
5	शुक्रवार	श्याम नंदन प्रसाद, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, पटना। मो० नं०- 9931348080
6	शनिवार	अजय कुमार, मोटरयान निरीक्षक, मुजफ्फरपुर। मो० नं०- 9631326278
7	रविवार	राजीव रंजन, मोटरयान निरीक्षक, समस्तीपुर। मो० नं०- 9431067838

2. प्रथम एवं द्वितीय पाली हेतु नवनियुक्त प्रवर्तन निरीक्षक की प्रतिनियुक्ति जिला परिवहन पदाधिकारी, हाजीपुर (वैशाली) अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेंगे।

3. विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 6397 दिनांक 11.12.2013 के द्वारा प्रथम एवं द्वितीय पाली हेतु प्रतिनियुक्ति आदेश विलोपित किया जाता है तथा शेष आदेश यथावत् रहेगा।


यह आदेश दिनांक-20.02.2014 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।


प्रधान सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 922.
प्रतिलिपि:-

पटना, दिनांक...15/02/2014

1. प्रधान सचिव, खनन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, पटना/वैशाली/मुजफ्फरपुर /छपरा/सीवान/औरंगाबाद/ मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना प्रमंडल, पटना/सारण प्रमंडल छपरा/मगध प्रमंडल गया/ दरभंगा प्रमंडल दरभंगा/गया प्रमंडल, एवं तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/वैशाली/मुजफ्फरपुर/छपरा/सीवान/समस्तीपुर एवं औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. उपर्युक्त प्रतिनियुक्त/सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।